

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 105 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामकिशन सैनी
एफबीओ मैसर्स:- सैनी किराना स्टोर बगीची के पास आलुदा गावं तहसील नांगल राजावतान जिला
दौसा ।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित ।

–: आदेश :-

दिनांक:- 07.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सैनी ने दिनांक 18.10.2023 को सायंकाल 03:40 बजे एफबीओ मैसर्स सैनी किराना स्टोर बगीची के पास आलुदा गावं तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामकिशन सैनी उपस्थित मिला। श्री मुकेश कुमार सैनी ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। श्री मुकेश कुमार सैनी को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक साफ सुथरे स्टील के पीपे में लगभग 8 लीटर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 1.600 लीटर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) खरीदा। जिसकी कीमत 200 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। खदीदशुदा 1.600 लीटर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतल में बराबर-बराबर (400-400 एम.एल.) डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-3955 गॉद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर फार्म 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफबीओ विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता)एफबीओ व गवाहन को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 19.10.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।



उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) का नमूना खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1922/एक्ट/2023/1944 दिनांक 30.10.2023 के अनुसार Contravention to the Regulation No. 2.3.15(b) एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (Sale of oils & fats is restricted in loose condition) पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) का नमूना की जांच में खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1922/एक्ट/2023/1944 दिनांक 30.10.2023 के अनुसार Regulation No. 2.3.15(b) एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन एवं (Sale of oils & fats is restricted in loose condition) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खुले सरसों के तेल के नमूने की जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है, केवल मात्र खुला सरसों का तेल विक्रय करने के कारण जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन बताया गया है। हमारे द्वारा ग्राहको की मांग के अनुसार खुला सरसों का तेल मांगे जाने पर पैक पीपे में को खोलकर बिना मिलावट किये सरसों का तेल खुला विक्रय किया जाता है। भविष्य में प्रार्थी द्वारा खुला सरसों का तेल विक्रय करने की गलती नहीं दोहराई जावेगी। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप फरमाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1922/एक्ट/2023/1944 दिनांक 30.10.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) जांच में Regulation No. 2.3.15(b) एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन एवं (Sale of oils & fats is restricted in loose condition) पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुला (Mustard oil loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामकिशन सैनी एफबीओ मैसर्स:- सैनी किराना स्टोर बगीची के पास आलुदा गांव तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा पर 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 07.02.2024 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत (Chief Medical & Health Officer Dausa) के निर्धारित मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:- 07.02.2024

क्रमांक / FSSA/2024/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामकिशन सैनी एफबीओ मैसर्स:- सैनी किराना स्टोर बगीची के पास आलुदा गांव तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

(नरेश बुनकर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

